भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4830

दिनांक 28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राजस्थान में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन

4830. श्री हरीश चंद्र मीनाः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राजस्थान राज्य में विशेष रूप से टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में स्वास्थ्य रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के संबंध में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन का कोई मूल्यांकन किया है;
(ख) यदि हां, तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (एबीएचए) आईडी जारी करने में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या इस मिशन के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य सेवाओं और रोगियों के स्वास्थ्य परिणामों में कोई सुधार देखा गया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्वास्थ्य सेवाओं के किन विशिष्ट पहलुओं में सुधार देखा गया है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए), एबीडीएम के कार्यान्वयनकर्ता निकाय, जिसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक का लांगिट्यूडनल इलेकट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड सृजित करने के लिए स्वास्थ्य पारिप्रणाली के भीतर स्वास्थ्य संबंधी डेटा की अंत:क्रियाशीलता को सक्षम करने के लिए एक ऑनलाइन मंच बनाना है। एनएचए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) को लागू करने के लिए राज्यों के साथ निकट समन्वय में काम कर रहा है।

एबीडीएम से संबंधित विभिन्न केपीआई [मुख्य कार्य निष्पादन संकेतकों] की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए एक पब्लिक डैशबोर्ड [dashboard.abdm.gov.in] स्थापित किया गया है। यह डैशबोर्ड राज्य, जिला और अस्पताल स्तर तक कार्य करता है और इसलिए, यह एबीडीएम के कार्यान्वयन के आकलन मदद करता है। एनएचए ने भारतीय स्वास्थ्य और प्रबंधन अनुसंधान संस्थान (आईआईएचएमआर), नई दिल्ली को एबीडीएम के सफल कार्यान्वयन के प्रमुख निर्धारकों को समझने और पहचानने के लिए भारत के चार राज्यों यानी आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में डिजिटल स्वास्थ्य कार्य नीति को अपनाने,इसका

कार्यान्वयन करने और स्वास्थ्य सेवा डिजिटलीकरण के प्रभाव का आकलन करने के लिए भारतीय स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य का मूल्यांकन करने हेतु अध्ययन की मंजूरी दे दी है।

एबीडीएम में प्रमुख रजिस्ट्रियां शामिल हैं जिनका आशय रजिस्ट्रियाँ जैसे आयुष्मान भारत स्वास्थ्य लेखा (आभा), स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर रजिस्ट्री (एचपीआर), स्वास्थ्य सुविधा केंद्र रजिस्ट्री (एचएफआर), और दवा रजिस्ट्री तैयार करना है।

आधार विवरण के अनुसार, टोंक और सवाई माधोपुर के व्यक्तियों के लिए क्रमशः 11,83,670 और 9,45,257 आभा सृजित किए गए है।

एबीडीएम के तहत की गई प्रमुख पहलें:

'स्कैन एंड शेयर' यूज केस - एक क्यूआर-कोड-आधारित ओपीडी पंजीकरण सेवा है जो रोगियों को सुविधा केंद्र के क्यूआर कोड को स्कैन करने और अपने जनसांख्यिकीय विवरण को साझा करने में मदत देती है। यह पंजीकरण काउंटर पर लंबी कतारों को कम करता है और इससे अधूरी या गलत प्रविष्टि की संभावना को कम होती है। 24 मार्च 2025 तक, 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 19,420 स्वास्थ्य सुविधा केंद्रो में 9.47 करोड़ ओपीडी पंजीकरण सृजित किए गए और प्रति दिन औसतन लगभग 3 लाख टोकन पंजीकरण बनाए जा रहे हैं। इस सुविधा से पंजीकरण कतारों में प्रतीक्षा समय को कम करने और वृद्ध नागरिकों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों, अलग-अलग दिव्यागजनों सहित अस्पतालों में तेजी से पंजीकरण कराने में लगभग 7 करोड़ नागरिकों की सहायता हुई है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को अपेक्षाकृत और अधिक सुलभ बनाया जा सका है।

'स्कैन एंड पे' यूज केस: स्कैन और भुगतान रोगियों को अपने आभा पते पर सभी खुले आदेशों को देखने के लिए अपने पीएच एप्लिकेशन का उपयोग करने के लिए किसी सुविधा केंद्र/प्रयोगशाला/फार्मेसी का क्यूआर कोड स्कैन करने और अपनी पसंद के किसी भी पीएचआर एप्लिकेशन का उपयोग करके त्वरित डिजिटल भुगतान करने के लिए सशक्त बनाता है। मरीज अपने एप्लीकेशन पर अपनी डिजिटल रसीद देख सकते हैं और उस सेवा का लाभ उठा सकते हैं जिसके लिए उन्होंने भुगतान किया है। 24 मार्च, 2025 तक, नौ सार्वजनिक और एक निजी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र ने इस सेवा का संचालन शुरु किया है।

*****